



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrarsua@yahoo.in

Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक/566/अकादमिक/सम्बद्धता/2025

अम्बिकापुर, दिनांक 16.06.2025

अधिसूचना

उमा विन्ध्यवासिनी संस्कार महाविद्यालय, लटोरी जिला-सूरजपुर (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित नवीन विषयों के लिये अस्थायी सम्बद्धता कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रदान की जाती है। महाविद्यालय को प्रतिवर्ष नियमानुसार सम्बद्धता शुल्क देना अनिवार्य होगा।

कक्षा	विषय	स्वीकृत छात्र संख्या
बी.ए. द्वितीय वर्ष	अतिरिक्त विषय - समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास	70
एम.ए. उत्तरार्द्ध	हिन्दी साहित्य	15
एम.ए. उत्तरार्द्ध	भूगोल	15

महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित निम्नांकित विषयों के लिए अस्थायी सम्बद्धता में वृद्धि (नवीनीकरण) कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रदान की जाती है।

कक्षा	विषय	स्वीकृत छात्र संख्या
बी.ए.	हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत, हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, कम्प्यूटर एप्लीकेशन	70
बी.एससी.	फाउंडेशन कोर्स, पर्यावरण अध्ययन, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस	75
बी.कॉम.	सभी अनिवार्य विषय	60
बी.सी.ए.	सभी अनिवार्य विषय	40
डी.सी.ए.	सभी अनिवार्य विषय	40
पी.जी.डी.सी.ए.	सभी अनिवार्य विषय	40
बी.ए. बी.एड.	सभी अनिवार्य विषय	50
एम.एससी.	वनस्पतिशास्त्र	20
एम.एससी.	प्राणिशास्त्र	20
एम.एससी.	रसायनशास्त्र	25
एम.एससी.	भौतिकशास्त्र	25


कुलसचिव

पृष्ठांकन क्र./567/अकादमिक/सम्बद्धता/2025
प्रतिलिपि -

अम्बिकापुर, दिनांक 16.06.2025

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक सी, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नया रायपुर (छ.ग.)
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर अपर संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
3. प्राचार्य, उमा विन्ध्यवासिनी संस्कार महाविद्यालय, लटोरी जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
4. उप कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यालयीन नस्ती।


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)